

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना (2011) के अनुसार 2015 (अनुमान)	0.69 करोड़ 0.71 करोड़
3	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)	109 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 30%)	10.90%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6	(क) शिशु मृत्यु दर (2013) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 39) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2009-13) (अखिल भारतीय औसत = 67.5)	32 70.5
7	गिनी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.31 0.40
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2015-16	1,10,511
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2006-07 से 2015-16)	15.47 (एस.सी.एस: 16.26)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2006-07 से 2014-15		2011-12 से 2014-15		2014-15 से 2015-16	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य *	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य *	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य *	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियाँ	13.54	10.84	11.86	7.05	11.45	31.37
ख	कर राजस्व	15.47	17.31	11.17	13.08	19.80	12.73
ग	कर-भिन राजस्व	5.62	5.69	(-) 0.75	2.81	(-) 18.75	-11.73
घ	कुल व्यय	15.10	12.63	14.99	11.96	2.73	12.74
ड.	पूँजीगत व्यय	12.38	10.53	11.63	10.96	(-) 6.26	15.81
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	17.28	15.07	14.92	10.86	1.24	1.42
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.14	12.21	14.91	7.78	20.65	30.26
ज	वेतन एवं मजदूरी	16.86	13.50	12.53	10.64	5.19	-2.90
झ	पेंशन	19.48	15.63	16.76	9.54	16.65	31.64

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना सूचना (2011), गरीबी की माप के लिए पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन, योजना आयोग (जून 2014), एस आर एस बुलेटिन (सितम्बर 2014), आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

* जम्मू और कश्मीर को छोड़कर

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2015-16 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड-I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रियों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियाँ
खण्ड-II	
भाग I: विस्तृत विवरणियाँ	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिन्हित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी
भाग II: परिशिष्ट	
I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

V	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमे (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय योजना स्कीमें) ख- राज्य योजना स्कीमें
VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
VII	विवरणी 18 एवं 21 में दर्शाये अंत शेष के संबंध में शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग-क

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2011-16 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	--	13.16	12.51	9.20	9.30

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]* 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2015-16 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35.42 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3, 1.6.1, 1.9.2 तथा 1.11.3; पृष्ठ: 7, 15, 25 व 32)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	14,543	15,598	15,711	17,843	23,440*
(i) कर राजस्व	4,108 (28)	4,626 (30)	5,121 (33)	5,940(33)	6,696 (29)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,477 (60)	2,728 (59)	3,141 (61)	3,661(62)	3,993 (60)
राज्य आबकारी	707 (17)	810 (18)	952 (19)	1,044(18)	1,131 (17)
वाहनों पर कर	176 (4)	196 (4)	208 (4)	220(4)	317 (05)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	155 (4)	173 (4)	188 (4)	190(3)	206 (03)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	185 (5)	262 (6)	191 (4)	333(5)	551(8)
भू-राजस्व	18 (1)	24 (-)	10 (-)	17(-)	7(-)
माल व यात्रियों पर कर	94 (2)	101 (2)	105 (2)	110(2)	115 (02)
अन्य कर	296 (7)	332 (7)	326 (6)	365(6)	376(5)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,915 (13)	1,377 (9)	1,785 (11)	2,081(12)	1,837 (08)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	1999 (14)	2,282(14)	2,491 (16)	2,644(15)	3,611 (15)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	6,521 (45)	7,313 (47)	6,314 (40)	7,178(40)	11,296 (48)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	650	--
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	25	21	17	41	26
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	14,568	15,619	15,728	18,534	23,466
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,984	3,371	4,050	10,877	6,129
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,904 (96)	3,239 (96)	3,362(83)	3,892 (36)	4,294 (70)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	629(16)	6,860 (63)	1,785 (29)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	80 (4)	132 (4)	59(1)	125(1)	50 (01)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	16,552	18,990	19,778	29,411	29,595**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	9,237	9,146	10,300	10,575	11,515
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	25,789	28,136	30,078	39,986	41,110
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	13,898	16,174	17,352	19,787	22,303
योजनागत	1,701 (12)	2,079 (13)	2,387 (14)	3,204(16)	3,493(16)
आयोजनेत्तर	12,197(88)	14,095 (87)	14,965 (86)	16,583(84)	18,810(84)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	5,690 (41)	6,618 (41)	7,047 (41)	7,604(38)	8,788(39)
सामाजिक सेवाएं	5,147 (37)	6,131 (38)	6,706 (39)	7,451(38)	7,980 (36)
आर्थिक सेवाएं	3,049 (22)	3,418 (21)	3,590 (20)	4,723(24)	5,525 (25)
सहायता अनुदान व अंशदान	12 (--)	7 (-)	9 (-)	9(-)	10 (-)
11. पूंजीगत व्यय	1,810	1,955	1,856	2,473	2,864
योजनागत	1,764 (97)	1,859 (95)	1,815 (98)	2,431(98)	2,568(90)
आयोजनेत्तर	46 (3)	96 (5)	41 (2)	42(2)	296(10)
सामान्य सेवाएं	73 (4)	74 (4)	81 (4)	83(3)	88(3)
सामाजिक सेवाएं	372 (21)	436 (22)	478 (26)	522(21)	792(28)
आर्थिक सेवाएं	1,365 (75)	1,445 (74)	1,297 (70)	1,868(76)	1,984(69)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	493	469	531	474	463
13. योग (10+11+12)	16,201	18,598	19,739	22,734	25,630

* ₹ 23,440.48 करोड़

** ₹ 29,595.59 करोड़

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
14. लोक ऋण की चुकौतियाँ	1,128	2,117	1,704	8,260	3,948
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,034	2,056	1,467	1,410	1,557
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	172	6,783	2,320
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	94	61	65	67	71
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	17,329	20,715	21,443	30,994	29,578
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	8,526	8,285	9,227	8,844	10,577
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25,855	29,000	30,670	39,838	40,155
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137 ¹⁰
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,130	2,370	2,481	2,849	3,155
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	981	1,203	1,438	2,156	2,612
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	--	--	11	125	31
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	--	--	10	77	25
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	--	--	01	48	06
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	0.11	14.80	6.40
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	72,720	82,294	92,589	1,01,108	1,10,511
	(--)	(13.16)	(12.51)	(9.20)	(9.30)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	28,228	30,442	33,884	38,192	41,197
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,316	3,353	4,333	4,281	3,714
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,208	9,455	9,316	9,316	9,658
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	13	12	12	13	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	930	115	130	141	143
भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.12	0.12	0.10	0.10	0.13
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.11	1.19	1.26	1.27	1.09
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.86	0.86	0.88	0.87	0.87
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.35	0.36	0.35	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.27	0.26	0.25	0.29	0.29
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.42	0.40	0.39	0.40	0.37
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	1.94	1.95	2.16	2.14	1.76
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़)	85.65	100.09	103.42	170.99	111.94
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-) 1,529	(-) 3,284	(-) 3,544	(-) 4,719	1,858
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.70	0.70	0.68	0.67	0.72
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	*	0.19	0.41	0.46	*
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.04	0.02	0.008	0.008	0.04
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़)	16,201	18,598	19,739	22,734	25,630
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.50	14.80	6.14	15.17	12.74
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	13,898	16,174	17,352	19,787	22,303
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 0.34	16.38	7.28	14.03	12.72
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	12,197	14,095	14,965	16,583	18,810
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 0.79	15.56	6.17	10.81	13.43
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	1,701	2,079	2,387	3,204	3,493
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.97	22.22	14.81	34.23	9.02
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.36	18.48	17.43	17.35	17.02
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	85.78	86.97	87.91	87.04	87.02
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	75.29	75.79	75.81	72.94	73.39
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	10.50	11.18	12.09	14.09	13.63
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	83.87	90.36	95.25	92.94	80.25
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	87.76	87.15	86.24	83.81	84.34
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	12.24	12.85	13.76	16.19	15.66
के साथ राजस्व व्यय की उत्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-) 0.02	1.11	0.58	1.24	1.37
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	(-) 0.02	2.26	10.11	1.03	0.41
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.43	1.05	1.18	1.30	0.95
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.12	0.74	0.49	0.41	1.41

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

*राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ: 2)

भाग-क: वर्ष 2015-16 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण							
2014-15		2015-16		2014-15			2015-16				
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़		
प्रवर्ग-क राजस्व											
I-राजस्व प्राप्तियां		17,843.45		23,440.48	I-राजस्व व्यय	19,787.05	18,810.18	3,492.63	22,302.81	22,302.81	
(i) कर राजस्व	5,940.16		6,695.81		सामान्य सेवाएं	7,603.65	8,734.43	54.03	8,788.46		
(ii) कर-भिन राजस्व	2,081.45		1,837.15		सामाजिक सेवाएं	7,451.52	6,035.50	1,944.42	7,979.92		
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का रान्यांश	2,644.17		3,611.17		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,143.87	3,330.89	801.27	4,132.16		
(iv) गैर योजनागत अनुदान	1,199.03		8,524.32		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,237.18	847.34	452.82	1,300.16		
(v) रान्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	4,332.60		755.52		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,061.51	1,035.26	231.98	1,267.23		
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	1,646.04		2,016.51		सूचना एवं प्रसारण	29.33	30.32	0.33	30.65		
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	55.13	10.24	47.12	57.36		
					श्रम एवं श्रम कल्याण	92.51	90.13	13.33	103.46		
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	794.65	679.35	392.29	1,071.64		
					अन्य	37.34	11.97	5.28	17.26		
					आर्थिक सेवाएं	4,722.75	4,030.29	1,494.18	5,524.47		
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1,526.96	834.48	719.86	1,554.34		
					ग्रामीण विकास	895.66	399.57	605.40	1,004.97		
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	359.95	328.92	8.77	337.69		
					ऊर्जा	407.54	972.22	0.30	973		
					उद्योग एवं खनिज	76.99	40.04	31.45	71.49		
					परिवहन	1,352.74	1,407.86	71.26	1,479.12		
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.69	2.66	4.92	7.58		
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	96.22	44.07	52.21	96.28		
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	9.13	9.96	-	9.96		
योग		17,843.45		23,440.48	योग	19,787.05	18,810.18	3,492.63	22,302.81		
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	(-)1,943.60			1,137.67	1,137.67	
योग		17,843.45		23,440.48	योग	17,843.45			23,440.48		

प्राप्तियां				संवितरण						
		2014-15	2015-16			2014-15	2015-16			
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
प्रवर्ग- ख-पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		(-) 887.30	(-) 739.32	III- भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष						
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	650.00		--	IV- पूंजीगत परिव्यय		2,472.89	296.15	2,568.34	2,864.49	2,864.49
				सामान्य सेवाएं		82.81	0.75	87.76	88.51	
				सामाजिक सेवाएं		521.97	110.80	681.23	792.03	
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		130.96	72.00	227.29	299.29	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		62.27	-	117.23	117.23	
				जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		309.92	35.47	318.92	354.39	
				सूचना एवं प्रसारण		1.25	0.33	0.65	0.98	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		9.69	-	6.63	6.63	
				सामाजिक कल्याण एवं पोषण		7.83	3.00	9.91	12.91	
				अन्य		0.05	-	0.60	0.60	
				आर्थिक सेवाएं		1,868.11	184.60	1,799.35	1,983.95	
				कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप		33.31	(-) 4.45	52.45	48.00	
				अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		0.63	-	4.61	4.61	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		506.08	25.00	117.21	142.21	
				ऊर्जा		308.23	-	265.00	265.00	
				उद्योग एवं खनिज		39.26	20.00	44.94	64.94	
				परिवहन		892.74	144.05	1,183.09	1,327.14	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं		87.86	-	132.05	132.05	
				योग		2,472.89	296.15	2,568.34	2,864.49	
V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		40.56	25.90	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम		474.19			463.17	463.17
विद्युत परियोजनाओं से	-		-	विद्युत परियोजनाएं		404.11	-	412.26		
सरकारी कर्मचारियों से	9.40		8.46	सरकारी कर्मचारियों को		7.27	-	13.42		
सहकारिता से	28.24		15.16	सहकारिता को		44.29	-	-		
अन्य से	2.92		2.28	अन्य को		18.52	-	37.49		
VI- अग्रणित राजस्व अधिशेष		(-) 1,943.60	1,137.67	VI- अग्रणित राजस्व घाटा						

प्राप्तियां				संवितरण					
2014-15		2015-16		2014-15		2015-16			
						गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		10,876.88		6,129.21	VII-लोक ऋण की अदायगी	8,259.82			3,947.73
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	3,891.27		4,294.29		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1,410.64		1,557.22	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,680.30		1,785.40		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	6,782.62		2,319.18	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	125.31		49.52		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी	66.56		71.33	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन				-
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि				-	IX-आकस्मिकता निधि से व्यय				-
X- लोक लेखा प्राप्तियां		10,574.80		11,515.45	X-लोक लेखा संवितरण	8,843.76			10,577.29
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	3,152.87		3,115.93		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	1,967.70		2,397.50	
आरक्षित निधियां	160.73		235		आरक्षित निधियां	159.04		244.14	
निक्षेप एवं अग्रिम	2,221.67		2,408.35		निक्षेप एवं अग्रिम	1,717.82		2,293.49	
उच्चत एवं विविध	487.07		617.00		उच्चत एवं विविध	458.64		650.54	
प्रेषण	4,552.46		5,139.17		प्रेषण	4,540.55		4,991.62	
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतर्शेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	(-) 739.32			216.23
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-		-	
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19		0.19	
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 739.51		(-) 340.76	
					रोकड़ शेष निवेश	-		556.80	
योग:		19,311.34		18,068.91	योग:	19,311.34			18,068.91

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ: 2 व 24)

भाग-ख: 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2016 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	24,244.38		27,108.86
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	2,731.65	3,040.64	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	21,512.73	24,068.22	
ऋण तथा अग्रिम-	2,346.81		2,784.07
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	2,122.49	2,534.74	
अन्य विकास ऋण	187.54	207.58	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	36.78	41.75	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	(-) 739.32		216.33
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	--	--	
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 887.49	(-) 340.76	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	--	556.80	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	12,857.75		11,720.08
योग	38,709.62		41,829.24

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2015 तक	31 मार्च, 2016 तक	
आंतरिक ऋण	24,657.64		26,860.93
ब्याज वाले बाजार ऋण	15,195.97	16,860.42	
ब्याजरहित बाजार ऋण	--	--	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	137.65	98.67	
नाबार्ड से ऋण	1,735.10	1,931.10	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	62.87	81.48	
केन्द्र सरकार की एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	6,675.64	7,650.79	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	7.02	--	
अन्य संस्थाओं से ऋण	843.39	238.46	
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,070.88		1,049.05
आयोजनेतर ऋण	5.53	4.85	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,065.22	1,044.07	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	--	--	
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	--	--	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	5.00		5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	9,921.47		10,639.90
निक्षेप एवं अग्रिम	2,312.81		2,427.68
आरक्षित निधियां	228.48		219.32
उच्च एवं विविध शेष	297.46		263.91
प्रेषण शेष	215.88		363.45
योग	38,709.62		41,829.24

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4; पृष्ठ: 4)

लिंग बजटीकरण

1. मार्च 2016 के अंत तक 100 प्रतिशत आवंटन की सीमा तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	--	5.66	5.66	--	5.20
2	जागृति अभियान	--	0.15	0.15	--	0.15
3	विधवा पुनर्विवाह	--	0.71	0.71	--	0.71
4	राज्य गृह	--	0.45	0.45	--	0.43
5	राज्य महिला आयोग	--	0.77	0.77	--	0.74
6	मदर टेरेसा	--	8.60	8.60	--	6.04
7	विशेष महिला उत्थान योजना	--	0.90	0.90	--	0.90
8	बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता	--	0.50	0.50	--	0.50
9	महिला विकास निगम	--	1.22	1.22	--	1.22
10	महिलाओं के लिए स्वरोजगार	--	0.10	0.10	--	0.10
11	माता शबरी सशक्तिकरण योजना	--	0.66	0.66	--	0.66
12	सबला पोषण	9.09	3.71	12.80	9.09	3.71
13	सबला गैर-पोषण	0.47	0.05	0.52	0.49	--
14	महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र	0.32	--	0.32	0.02	--
15	इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना	5.37	0.22	5.59	3.30	--
16	किशोरी शक्ति योजना	0.55	0.06	0.61	0.18	--
17	बेटी है अनमोल योजना	--	9.46	9.46	0	9.46
18	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.42	--	0.42	0.34	--
	योग	16.22	33.22	49.44	13.42	29.82

2. मार्च 2016 के अंत तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	एकीकृत बाल विकास स्कीम (सामान्य)	178.36	17.48	195.84	154.67	13.94
2	एकीकृत बाल विकास स्कीम (प्रशिक्षण)	1.64	0.30	1.94	1.64	0.20
3	विशेष पोषण कार्यक्रम	37.07	18.70	55.77	37.07	18.70
4	प्रतिपालक परिचर्या कार्यक्रम एवं बाल/बालिका सुरक्षा योजना	0.40	0.13	0.53	0.40	0.13
5	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	-	3.59	3.59	-	3.08
6	एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम	19.98	-	19.98	12.55	-
	योग	237.45	40.20	277.65	206.33	36.05

परिशिष्ट-1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ: 7)

2014-15 एवं 2015-16 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां) (लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2015-16	2014-15
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	0.11	--
	योग	0.11	--
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	--	51.00
	योग	--	51.00
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	0.23	16.53
	योग	0.23	16.53
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	42.50	25.00
	योग	42.50	25.00
सहायक एवं अनुसंधान विकास (आर. एंड डी. मिशन)	पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	3.65	1.04
	योग	3.65	1.04
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च	बैजनाथ फार्मास्यूटिकल्स	1.00	1.00
	योग	1.00	1.00
अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुकरण के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध स्कीम तथा अधिनिर्णय हेतु सहायता अनुदान	स्मिति विकास के लिए रिन्चेन जांगपो सोसाइटी	0.02	0.73
	डी गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी	0.07	0.13
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसाइटी अध्ययन संस्थान, ताबो	0.23	0.41
	रामधा बौद्ध सोसाइटी	0.06	0.12
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	--	0.32
	योग	0.38	1.71
ग्रिड अंतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा एम.एन.आर.ई.	भारतीय स्टेट बैंक, कुल्लू	--	1.60
	भारतीय स्टेट बैंक, चम्बा	--	1.15
	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा	0.03	0.96
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1.37	0.01
	यूको बैंक	1.30	--
	शौब्ला जल विद्युत प्राइवेट	2.50	--
	भारतीय स्टेट बैंक, शिमला	1.60	--
	एस.जे.वी.एन. लिमिटेड	0.12	--
	हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड	3.90	--
	योग	10.82	3.72
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी स्कीम	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	5.02	3.91
	योग	5.02	3.91
ई-गवर्नेंस	एच.पी.एम.सी. प्रोसेस ऑटोमेशन	--	3.94
	योग	--	3.94

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां) (लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2015-16	2014-15
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	--	0.17
	राज्य औषधीय वनस्पति बोर्ड सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश	1.34	2.50
	डॉ.वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	0.06	0.06
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	0.06	--
	योग	1.46	2.73
इलेक्ट्रॉनिक्स आई.टी. हार्डवेयर का संवर्धन एम.एफ.जी. डी.आई.टी.	राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संघ	--	0.56
	योग	--	0.56
एकीकृत वस्त्र उद्योग पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.)	हिमाचल वस्त्र उद्योग पार्क सीमित	--	11.63
	योग	--	11.63
राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के.ए.)	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद	0.72	1.80
	योग	0.72	1.80
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई.आई.यू.एस. डी.आई.पी.पी.	बददी अवसंरचना	1.61	3.91
	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	7.87	6.14
	योग	9.48	10.05
शहरी, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए अक्षय ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	0.32	1.57
	योग	0.32	1.57
परिवहन सब्सिडी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	153.68	16.24
	योग	153.68	16.24
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला को सहायता सहित मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	18.12	10.69
	योग	18.12	10.69
ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	41.03	16.37
	सुखजीत कृषि उद्योग	--	0.50
	हिमाचल सलाहकार संगठन	0.01	--
	नेचर इंडिया हेतु वर्ल्ड वाइड फंड	0.07	--
	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं सूचना संस्थान, हमीरपुर	0.04	--
	योग	41.15	16.87
अन्य	--	75.93	102.50
	योग	75.93	102.50
	कुल योग	364.57	278.55

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ: 21)

31 मई 2016 तक अद्यतन अंतिम रूप से तैयार लेखानुसार निवेश पर प्रतिफल हेतु प्रदत्त शेयर पूंजी का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	31.03.2015 को प्रदत्त पूंजी (एस जी)	घाटा	लाभ
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	16.89	--	0.96
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	31.19	6.96	--
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	11.71	4.17	--
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	11	--	0.61
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	7.19	--	0.67
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	8.09	1.50	--
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	0.25	--	--
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	--	6.47
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	--	4.93
10	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	300	--	--
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	132.67	21.74	--
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	71.79	--	2.88
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम	458.93	13,698.34	--
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.51	--	2.06
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम सीमित	3.72	--	1.01
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.22	--	0.6
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.3	--	0.2
योग		1,116.44	13,732.71	20.39
सांविधिक निगम				
18	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	92.98	1.09	--
19	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	581.34	172.70	--
योग		674.32	173.79	--
अक्रियाशील सरकारी कम्पनी				
20	एग्रो-इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	--	--
21	हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड	--	--	--
योग		16.75	--	--

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.3; पृष्ठ: 22)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्राप्ति

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
परियोजनाएं-प्रदान की गईं, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन		
परिवहन विभाग		
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50
2.	आई0एस0बी0टी0, शिमला	15
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
3.	रज्जु मार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलंग नाला	15
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		
4.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100
5.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाइयां	5
6.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयां	5
7.	जे एस एस के ऐम्बुलेंस का संचालन एवं रख-रखाव	5
8.	सी.टी. स्कैन	5
9.	24x7 ट्रीमा केन्द्र	5
परियोजनाएं- प्रदान की गईं तथा कार्यान्वयनाधीन		
परिवहन विभाग		
10.	मकलोड़गंज बस अड्डा	5
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
11.	जाखू रज्जु मार्ग	15
12.	धर्मशाला मकलोड़गंज रज्जु मार्ग	140
13.	हिमानी चामुण्डा रज्जु मार्ग	280
14.	पल्चान रोहतांग रज्जु मार्ग	350
शहरी विकास विभाग		
15.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15
16.	पार्किंग परिसर, संजौली	25
17.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45
18.	पार्किंग परिसर, विकासनगर	10
19.	पार्किंग परिसर, पालमपुर	10
20.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	5
21.	पार्किंग परिसर, रोहडू	
22.	टूटीकंडी-लिफ्ट-माल रोड रज्जु मार्ग	175
राजस्व विभाग		
23.	पार्किंग परिसर (जेल रोड एवं जैन्वु का नोन), मण्डी	75

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ: 36)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	685.57	876.53	190.96	27.85
2.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,914.92	2,099.89	184.97	-
राजस्व-प्रभारित						
3.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	0.44	0.44	100
4.	29	वित्त	3,107.86	3,155.00	47.14	-
पूंजीगत-दत्तमत्त						
5.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	960.95	1,024.04	63.09	-
6.	23	विद्युत विकास	384.59	421.85	37.26	-
पूंजीगत-प्रभारित						
7.	16	वन एवं वन्य जीव	-	4.26	4.26	100
8.	29	वित्त	1,628.56	3,947.73	2,319.17	142
योग			8,682.45	11,529.74	2,847.29	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य जो नियमन के लिए अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16, 18,23,26,27,29,30,31 तथा 32 2 तथा 10	2,237.64	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी जा चुकी हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/आधिक्यों का नियमन किया जाना अपेक्षित है।
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9,10,13,15,21 तथा 23 29	752.51	
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19, 21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/आधिक्यों का नियमन किया जाना अपेक्षित है।
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2, 3, 4,5,10,13,16,17,21 तथा 28 2, 7 तथा 9	474.86	
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1,2,6,11,12,13,18,19, 23(राजस्व), 23 (पूँजीगत) 1,10,19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत) तथा 31	1,585.69	
योग			5,753.78	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जो नियमन के लिए अपेक्षित है

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	6,85,57,12,000	8,76,52,62,008	1,90,95,50,008
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	19,14,91,62,000	20,99,89,00,556	1,84,97,38,556
3.	28-शहरी विकास	2,96,66,32,816	2,97,01,06,479	34,73,663
राजस्व-प्रभारित				
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	--	44,00,000	44,00,000
5.	29-वित्त	31,07,86,42,000	31,54,99,81,212	47,13,39,212
पूंजीगत-दत्तमत्त				
6.	08-शिक्षा	1,22,36,61,000	1,22,41,26,000	4,65,000
7.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	9,60,95,21,000	10,24,03,97,752	63,08,76,752
8.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	9,35,00,000	10,11,73,048	76,73,048
9.	23-विद्युत विकास	3,84,59,01,000	4,21,84,74,000	37,25,73,000
पूंजीगत-प्रभारित				
10.	16-वन एवं वन्य जीव	--	4,25,87,077	4,25,87,077
11.	29-वित्त	16,28,56,63,000	39,47,73,24,797	23,19,16,61,797
योग		91,10,83,94,816	1,19,59,27,32,929	28,48,43,38,113 अर्थात् ₹ 2,848.43 करोड़

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.3; पृष्ठ: 37)
वर्ष 2015-16 के दौरान प्रावधानरहित व्यय

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	प्रावधानरहित व्यय की राशि
10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन		
1.	3054/03/103/01 (कार्य प्रभारित स्थापना)	0.09
2.	3054/03/103/03 (मशीनरी व उपस्कर-कार्य प्रभारित स्थापना)	0.17
3.	3054/80/001/01 (सड़क निर्माण कार्य-निर्देशन एवं पर्यवेक्षण)	4.62
11-कृषि		
4.	2401/00/115/01 (मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना)	2.60
5.	2401/00/800/15 (राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन)	0.15
6.	2401/00/800/17 (उठाऊ सिंचाई स्कीम व बोरवेल पर सब्सिडी)	1,999.00
7.	2401/00/800/03 (टैंक द्वारा सिंचाई-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)	664.82
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता		
8.	2215/01/001/01 (निर्देशन)	44.00
16-वन एवं वन्य जीव		
9.	4406/01/070/01 (सड़क व पुल)	425.87
20- ग्रामीण विकास		
10.	2505/02/101/03 (पानी के कच्चा टैंक्स को 'पोलीलाइन्ड'/पक्का टैंक्स में बदलने के लिए सामग्री)	1,948.72
23- विद्युत विकास		
11.	6801/00/190/01 (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण)	21,964.74
29-वित्त		
12.	6003/00/110/03 (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमी एवं अधिविकर्ष)	1,15,000.82
31-जनजातीय विकास		
13.	2053/00/796/05 (कार्यालय आवासीय आयुक्त, पांगी पर व्यय)	1.86
14.	2215/01/796/04 (स्टॉक)	265.29
15.	2215/01/796/05 (स्टॉक विनिर्माण)	3.45
16.	2215/01/796/06 (विविध लोक निर्माण अग्रिम)	7.13
17.	2401/00/796/22 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि))	12.40
18.	2401/00/796/22 (राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन)	6.86
19.	2702/80/796/08 (उच्चत (स्टॉक) पर व्यय)	230.06
20.	2702/80/796/09 (उच्चत (स्टॉक विनिर्माण) पर व्यय)	16.43
21.	2702/80/796/10 (उच्चत (विविध लोक निर्माण अग्रिम) पर व्यय)	101.52
32-अनुसूचित जाति उप-योजना		
22.	2401/00/789/25 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि))	106.98
23.	2401/00/789/32 (राष्ट्रीय तिलहन एवं 'पाम आयल' मिशन)	21.35
24.	2401/00/789/33 (राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन)	80.30
25.	2402/00/789/03 (फार्म जल प्रबंधन पर)	49.87
26.	2501/06/789/03 (राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन)	28.24
27.	4402/00/789/03 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय)	23.82
योग		1,43,011.15
		अर्थात् ₹ 1,430.11 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	03-न्याय प्रशासन	115,61,49	112,98,69	2,62,80	9,89,94
2.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	801,19,36	788,98,03	12,21,33	61,20,97
3.	08- शिक्षा	4643,81,34	3634,00,58	1009,80,76	66,40,80
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	2446,71,39	2421,85,52	24,85,87	52,79,24
5.	30-विविध सामान्य सेवाएं	73,32,40	63,90,95	9,41,45	4,57,47
6.	31-जनजाति विकास	774,67,62	714,62,00	60,05,62	63,33,26
पूंजीगत-दत्तमत्त					
7.	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	174,69,00	169,97,62	4,71,38	27,72,37
8.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	656,01,01	579,81,70	76,19,31	32,51,63
योग		9686,03,61	8486,15,09	1199,88,52	318,45,68 अर्थात् ₹ 318.46 करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	563.60	121.97	685.57	876.53	190.96
2.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,891.17	23.74	1,914.92	2,099.89	184.97
राजस्व-प्रभारित							
3.	29	वित्त	2,950.00	157.86	3,107.86	3,155.00	47.13
पूंजीगत-दत्तमत्त							
4.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	890.26	70.69	960.95	1,024.04	63.09
पूंजीगत-प्रभारित							
5.	29	वित्त	1,502.78	125.79	1,628.56	3,947.73	2,319.17
योग			7,797.81	500.05	8,297.86	11,103.19	2,805.32

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ: 37)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-103-02 (एन.पी.)	(-) 32.14	1.25
2.			2053-00-093-01 (एन.पी.)	(-) 26.17	1.61
3.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-200-01	1.52	1.25
4.			2210-01-102-01	1.00	(-) 1.00
5.			2210-04-101-02	(-) 14.33	(-) 7.67
6.			2210-05-105-06	4.84	2.96
7.			2211-00-101-01	(-) 27.98	(-) 1.02
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2059-80-053-03 (एन.पी.)	(-) 29.81	(-) 1.10
9.			2059-80-053-04 (एन.पी.)	(-) 6.99	(-) 4.86
10.			2059-80-053-06 (एन.पी.)	(-) 2.75	(-) 7.75
11.			3054-03-103-05 (एन.पी.)	(-) 2.60	(-) 1.53
12.			3054-03-103-10 (एन.पी.)	(-) 41.98	(-) 2.10
13.			3054-04-105-02 (एन.पी.)	32.48	(-) 9.41
14.			3054-04-105-06 (एन.पी.)	(-) 91.39	(-) 41.84
15.			3054-04-105-07 (एन.पी.)	(-) 93.00	(-) 928.53
16.			5054-03-337-04	(-) 7.56	1.82
17.			5054-04-337-09	7.54	1.76
18.	11	कृषि	2401-00-800-16 (एन.पी.)	(-) 15.41	(-) 6.00
19.			2401-00-800-16 (एन.पी.)	6.16	(-) 6.16
20.			2401-00-800-17 (एन.पी.)	19.99	(-) 19.99
21.			2401-00-800-15 (एन.पी.)	6.52	6.36
22.			2401-00-800-15 (एन.पी.)	6.82	5.80
23.			2401-00-800-17 (एन.पी.)	(-) 20.00	19.99
24.			2402-00-800-03 (एन.पी.)	(-) 3.29	3.36
25.			2402-00-800-03 (एन.पी.)	3.29	(-) 3.29
26.			2402-00-800-04 (एन.पी.)	5.17	5.17
27.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-14(एन.पी.)	(-) 2.49	(-) 4.19
28.			2215-01-102-13(एन.पी.)	1.40	1.44
29.			2215-01-799-01(एन.पी.)	79.43	29.09
30.			2700-01-001-01	0.04	(-) 1.44
31.			4711-01-800-13	(-) 26.00	(-) 1.18
32.	20	ग्रामीण विकास	2505-02-101-03	(-) 0.51	(-) 19.49
33.	23	विद्युत विकास	6801-00-190-01	(-) 100.88	(-) 81.51
34.			6801-00-190-01	0.00*	219.65
35.	29	वित्त	2071-01-101-03 (एन.पी.)	(-) 231.91	45.01
36.			2071-01-105-02 (एन.पी.)	(-) 134.25	7.15
37.			2071-01-102-02 (एन.पी.)	22.21	(-) 35.11
38.			2071-01-104-02 (एन.पी.)	35.98	(-) 42.09
39.			2071-01-115-01 (एन.पी.)	107.26	(-) 28.67
40.	31	जनजातीय विकास	2053-00-796-01	(-) 0.02	(-) 1.65
41.			2210-04-796-04	1.77	(-) 1.81
42.			2515-00-796-02	(-) 0.17	(-) 1.09
43.			2702-80-796-11	(-) 3.79	3.20
44.			3054-04-796-03 (एन.पी.)	(-) 3.30	1.20
45.			3054-04-796-04 (एन.पी.)	(-) 3.20	1.52
46.	4055-00-796-02	1.02	1.03		
47.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-04-789-01	2.71	(-) 2.50
48.			5054-03-789-01	(-) 6.72	(-) 1.77

* ₹1,000 मात्र

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ: 38)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा	जनवरी-मार्च 2016 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2016 में किया गया व्यय	2015-16 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2016	मार्च 2016
1.	05- भू राजस्व व जिला प्रशासन	2245-02-111-01	23.69	23.44	39.45	59.42	59.42
2.		2245-02-113-01	11.91	11.91	23.66	50.34	50.34
3.		2245-05-101-01	124.95	118.52	235.00	53.17	50.43
4.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-09	16.52	16.52	16.52	100.00	100.00
5.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	4216-01-106-01	24.92	21.60	30.18	82.57	71.57
6.		5054-04-337-10	37.84	32.71	50.09	75.54	65.30
7.	11-कृषि	2401-00-800-17	15.71	14.65	19.99	78.59	73.29
8.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-800-01	15.10	13.72	20.00	75.50	68.60
9.	14- पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्यकी	2403-00-106-07	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
10.	18-उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	4851-00-800-05	12.49	12.49	12.49	100.00	100.00
11.	20-ग्रामीण विकास	2505-02-101-03	19.49	19.49	19.49	100.00	100.00
12.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-02	55.58	55.58	55.58	100.00	100.00
13.		4801-01-190-09	32.73	32.73	32.73	100.00	100.00
14.	27-श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	4202-02-105-03	15.88	13.24	20.00	79.40	66.20
15.		2217-03-192-02	27.75	27.75	27.75	100.00	100.00
16.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	2217-80-191-42	10.00	10.00	10.75	93.02	93.02
17.		2217-80-191-48	22.48	22.23	22.48	100.00	98.89
18.		2217-80-192-15	12.75	11.25	15.00	85.00	75.00
19.	29-वित्त	2049-01-101-04	12.78	12.78	25.56	50.00	50.00
20.		2049-01-101-05	25.98	25.98	51.96	50.00	50.00
21.		2049-01-101-07	19.58	19.58	39.15	50.01	50.01
22.		2049-01-101-80	12.24	12.24	24.48	50.00	50.00
23.		2049-01-101-95	21.08	21.08	42.15	50.01	50.01
24.		2049-01-116-01	13.19	13.19	13.19	100.00	100.00
25.		2049-01-123-01	643.68	643.68	643.68	100.00	100.00
26.		6003-00-108-02	18.50	18.50	18.50	100.00	100.00
27.	30-विविध सामान्य सेवाएं	4202-03-102-01	23.58	23.58	25.00	94.32	94.32
28.	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-05	26.91	22.85	35.42	75.97	64.51
29.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2202-02-789-14	10.62	10.62	13.95	76.13	76.13
30.		2202-03-789-04	25.00	25.00	33.91	73.72	73.72
31.		4215-01-789-02	22.54	19.58	35.01	64.38	55.93
32.		4801-01-789-03	11.02	11.02	11.02	100.00	100.00
33.		5054-03-789-03	40.19	40.19	70.19	57.26	57.26

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4; पृष्ठ: 38)

विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत					
1.	1	विधान सभा	24.41	1.58	
2.	3	न्याय प्रशासन	125.51	12.53	
3.	4	सामान्य प्रशासन	170.44	17.03	
4.	6	आबकारी एवं कराधान	56.17	3.78	
5.	7	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	862.4	73.42	
6.	8	शिक्षा	4,710.22	1,076.22	23
7.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,507.32	366.81	24
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2,499.51	77.65	
9.	11	कृषि	344.14	38.47	
10.	14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	281.69	35.36	
11.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	81.99	31.4	38
12.	16	वन एवं वन्य-जीव	408.74	33.23	
13.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	72.29	12.23	
14.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	600	47.43	
15.	20	ग्रामीण विकास	1,185.07	208.74	
16.	21	सहकारिता	39.82	8.45	21
17.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	231.74	47.62	21
18.	23	विद्युत विकास	972.46	1.49	
19.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	26.39	2.21	
20.	25	सड़क एवं जल परिवहन	353.45	1.43	
21.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	212.12	63.72	30
22.	29	वित्त	4,113.4	228.94	
23.	30	विविध सामान्य सेवाएं	77.9	13.99	
24.	31	जनजातीय विकास	838.01	123.39	
25.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	749.21	31.81	
राजस्व-प्रभारित					
26.	3	न्याय प्रशासन	35.65	6.86	
पूँजीगत-दत्तमत					
27.	7	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	30.74	10.18	33
28.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	101.33	6.01	
29.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	561.17	270.58	48
30.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	202.41	32.44	
31.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	81.06	14.22	
32.	29	वित्त	11.58	5.2	45
33.	31	जनजातीय विकास	209.84	17.38	
34.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	688.53	108.71	
पूँजीगत-प्रभारित					
35.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	40.56	3.80	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

क: वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 20 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	07	2070-00-106-04	103.55	66.24	64
2.	07	4055-00-211-03	526.00	332.85	63
3.	08	2202-01-111-01	21,956.00	13,862.40	63
4.	08	2202-01-111-01	8,145.00	5,080.97	62
5.	08	2202-01-800-01	1,672.00	1,037.31	62
6.	08	2202-02-109-05	1,123.00	699.10	62
7.	08	2202-02-109-14	137.00	86.62	63
8.	08	2202-03-103-07	8,998.00	6,361.06	71
9.	08	2202-03-103-07	658.00	365.00	55
10.	08	2202-03-800-01	150.00	98.16	65
11.	08	2202-80-800-08	70.98	63.98	90
12.	09	2210-05-101-03	55.86	28.01	50
13.	09	2210-06-101-05	57.46	39.31	68
14.	09	2211-00-001-01	249.95	231.53	93
15.	09	2211-00-800-01	48.69	47.39	97
16.	10	3054-04-105-05	325.06	271.36	83
17.	11	2401-00-109-25	210.00	135.33	64
18.	11	2401-00-800-13	2,961.00	2,330.25	79
19.	13	4702-00-101-06	404.00	303.88	75
20.	13	4702-00-101-07	269.00	202.26	75
21.	13	4705-00-313-01	1,870.00	1,405.87	75
22.	13	4711-01-800-13	2,558.00	1,818.45	71
23.	13	4711-01-800-15	1,618.00	1,517.22	94
24.	14	2403-00-101-10	163.00	156.88	96
25.	14	2404-00-191-04	300.00	277.80	93
26.	14	2405-00-101-05	22.00	21.25	97
27.	15	3451-00-101-09	40.00	30.51	76
28.	15	3451-00-101-21	232.00	140.14	60
29.	15	3451-00-101-22	500.00	397.92	80
30.	19	2225-03-102-01	230.00	143.54	62

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ 20 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
31.	19	2236-02-101-05	1,973.00	1,106.56	56
32.	20	2216-03-102-01	4,288.00	4,109.52	96
33.	20	2501-06-101-03	1,193.00	798.13	67
34.	20	2501-06-800-04	7,998.00	6,572.00	82
35.	20	2515-00-101-09	2,514.00	2,160.12	86
36.	22	2236-02-101-06	30.00	20.48	68
37.	23	6801-00-190-01	18,239.00	10,088.01	55
38.	27	2230-03-003-09	9,900.00	5,808.30	59
39.	27	4202-02-104-01	1,398.00	1,243.00	89
40.	27	4202-02-104-02	248.00	179.24	72
41.	29	7610-00-201-01	600.00	332.60	55
42.	30	2250-00-103-01	149.98	83.65	56
43.	31	2053-00-796-05	39.14	28.99	74
44.	31	2202-01-796-01	159.62	90.97	57
45.	31	2202-03-796-05	586.57	547.74	93
46.	31	2216-03-796-01	129.00	89.00	69
47.	31	2230-03-796-06	100.00	55.26	55
48.	31	2403-00-796-04	146.03	75.88	52
49.	31	2406-01-796-07	36.01	23.46	65
50.	31	2501-03-796-01	186.00	120.34	65
51.	31	2501-06-796-02	72.00	63.11	88
52.	31	2501-06-796-03	32.00	29.73	93
53.	31	2501-06-796-05	36.00	21.45	60
54.	31	2702-80-796-11	483.38	378.94	78
55.	31	4711-01-796-01	1,170.00	964.10	82
56.	32	2501-06-789-04	100.00	85.72	86
57.	32	4402-00-789-02	699.00	399.02	57
58.	32	4702-00-789-06	150.00	140.35	94
59.	32	4702-00-789-07	77.00	56.20	73
60.	32	4711-01-789-10	888.20	666.16	75
61.	32	5054-04-789-03	200.00	111.88	56
योग			1,09,474.48	74,002.49	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्षक	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
1.	04-सामान्य प्रशासन	3425-60-001-02	पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग	125.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
2.	06-आबकारी एवं कराधान	2235-60-110-02	लघु व्यवसायियों हेतु समुह दुर्घटना	200.00	स्कीम के क्रियान्वयन न करने के कारण
3.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	2070-00-108-02	जिला स्टाफ	373.00	उपकरण के न खरीद के कारण
4.		4055-00-211-03	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	685.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
5.	08-शिक्षा	2202-01-102-03	निजी स्कूलों के कमजोर वर्ग के छात्रों को फीस लौटाना	57.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
6.		2202-02-109-09	सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी फेस-III	373.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
7.		2202-02-109-15	राजीव गांधी डिजिटल योजनाए लेपटोप/टेबलेट	250.00	गैर-योजनागत से योजनागत में स्थानान्तरण के कारण
8.		2202-02-109-16	शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम	73.00	भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की अप्राप्ति के कारण
9.		2202-80-107-15	प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	300.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
10.		2225-03-277-06	अल्पसंख्यक समुदायों को छात्रवृत्ति	110.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
11.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-00-800-07	राष्ट्रीय ऐम्बूलेस सेवा	248.00	संहिता औपचारिकता की अपूर्णता के कारण
12.		4210-03-105-05	वाहन स्थित नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण	139.00	मेडिकल कालेज के उन्नयन पर शून्य व्यय के कारण
13.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़क, सेतु एवं भवन	2216-05-053-01	अन्य अनुरक्षण व्यय	330.00	रख-रखाव पर अल्प व्यय के कारण
14.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-20-800-02	अन्य व्यय	593.00	--
15.		4701-20-800-02	अन्य व्यय	75.00	--
16.		4701-21-800-01	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	2,044.00	--
17.		4701-21-800-01	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	257.00	--
18.		4702-00-101-06	एकीकृत सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीम	3,198.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति के कारण
19.		4702-00-101-07	अपवर्तन स्कीम/प्रवाह सिंचाई स्कीम	2,133.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति के कारण
20.		4705-00-313-01	लघु सिंचाई स्कीम के अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास	2,499.00	निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
21.		4711-01-800-10	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत मण्डी तथा हमीरपुर जिले में बरशवाड़ से जाहू तक सरी खड्ड का चैनलाइजेशन	324.00	निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
22.		4711-01-800-10	-उपरोक्त-	156.00	-उपरोक्त-
23.		4711-01-800-11	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत सूंकर बाटा का चैनलाइजेशन	327.50	-उपरोक्त-
24.		4711-01-800-11	-उपरोक्त-	158.50	-उपरोक्त-
25.		4711-01-800-12	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान डाउन स्टीम से पंजाब बाउंडरी फेस-III का चैनलाइजेशन	463.00	-उपरोक्त-
26.		4711-01-800-12	-उपरोक्त-	222.00	-उपरोक्त-

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्षक	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
27.		4711-01-800-14	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ऊना में लूंगरी खड्ड का चैनलाइजेशन	25.00	भारत सरकार से निधि की अप्राप्ति के कारण
28.		4711-01-800-15	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौछ खड्ड तहसील इंदोरा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	779.00	-उपरोक्त-
29.		4711-01-800-16	जिला कुल्लू में पलछन से ओट का चैनलाइजेशन	231.00	-उपरोक्त-
30.		4711-01-800-16	-उपरोक्त-	111.00	-उपरोक्त-
31.		4711-01-800-17	जिला शिमला में पब्वर नदी का चैनलाइजेशन	231.00	-उपरोक्त-
32.		4711-01-800-17	-उपरोक्त-	111.00	-उपरोक्त-
33.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	2403-00-101-10	पशु रोग (सामग्री एवं आपूर्ति) नियंत्रण	42.00	कम सामग्री की खरीद के कारण
34.		2403-00-800-01	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,645.00	भारत सरकार द्वारा निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
35.		2405-00-101-06	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	95.00	लाभार्थियों द्वारा कम दावा प्राप्ति के कारण
36.	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2202-01-101-03	जूनियर माध्यमिक विद्यालय	490.00	रिक्त पदों की भर्ती न होने के कारण
37.		2202-01-800-01	मध्याह्न भोजन	600.00	सामग्री की खरीद न होने तथा क्रमचारियों को मानदेय के भुगतान न होने के कारण
38.		3451-00-101-19	कौशल विकास परिषद	200.00	कौशल विकास पर व्यय न होने के कारण
39.		5002-01-120-01	रेलवे लाइनों का निर्माण	1,000.00	रेलवे लाइनों पर भवन निर्माण पर नगण्य व्यय होने के कारण
40.		5475-00-800-02	विधायक स्थानीय	1,200.00	निर्माण पर नगण्य व्यय होने के कारण
41.		18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-22	खाद्य विधायन हेतु राष्ट्रीय मिशन	224.00
42.	2851-00-103-25		राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	184.00	स्कीम के क्रियान्वयन न होने के कारण
43.	20-ग्रामीण विकास	2501-06-101-06	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के अंतर्गत आजीविका कौशल	448.00	स्कीम के क्रियान्वयन न होने के कारण
44.		2515-00-101-13	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण	3,373.00	सहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण
45.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3456-00-001-04	उपभोक्ता जागरूकता	98.00	शिविरों व संगोष्ठियों आदि के कम आयोजन होने के कारण
46.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	2203-00-105-05	सी.डी.पी.टी. स्कीम में केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राजकीय बहुतकनिकियां	98.00	सहायता अनुदानों के कम प्राप्त होने के कारण
47.	29-वित्त	2235-60-102-05	स्वावलम्बन स्कीम के अंतर्गत पेंशन अंशदान	1,000.00	प्रयोक्ताओं के अनुपलब्ध होने के कारण
48.	30-विविध सामान्य सेवाएं	2204-00-001-02	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत व्यय	98.00	भारत सरकार से निधियां जारी न होने के कारण
49.		2250-00-103-02	मन्दिरों के लिए रिबोल्विंग फंड हेतु सहायता अनुदान	500.00	सहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण
50.	31-जनजातीय विकास	2070-00-796-04	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो	163.09	मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष की सूची में शुद्धि पच्ची के कारण
51.		2210-05-796-02	इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का उन्नयन	176.00	भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण
52.		2235-02-796-03	एकीकृत बाल विकास स्कीम	725.00	निधियन पद्धतियों की पुनः जांच, रिक्त पदों के न भरे जाने, स्कीम के अंतर्गत गतिविधियों पर कम व्यय होने आदि के कारण
53.		2235-02-796-03	-उपरोक्त-	120.00	-उपरोक्त-
54.		2236-02-796-01	खाद्य कार्यक्रम पर व्यय	231.97	खाद्य कार्यक्रम पर अधिक व्यय होने के कारण
55.		2236-02-796-01	-उपरोक्त-	270.00	-उपरोक्त-

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
56.		2401-00-796-22	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	405.00	संशोधन के कारण स्कीम के अंतर्गत बीजों एवं खादों के उपदान पर अधिक व्यय होने के कारण आधिक्य से आंशिक रूप से निधियन पद्धति अधिक सिद्ध हुई
57.		2401-00-796-50	संवर्धन एवं तकनीकी पर राष्ट्रीय मिशन	36.00	--
58.		2402-00-796-10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय	90.00	निधियन पद्धति की पुनः जांच के कारण
59.		2501-03-796-01	बंजर क्षेत्र विकास पर व्यय	556.00	स्कीम की अनिर्तरता के कारण
60.		5054-03-796-03	राज्य राजमार्ग-केन्द्रीय सड़क निधियों के अंतर्गत सड़क निर्माण	480.00	भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण
61.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2235-02-789-03	राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत पौषण प्रावधान	227.00	राज्य तथा केन्द्र की हिस्सेदारी पद्धति में बदलाव के कारण
62.		2235-02-789-03	-उपरोक्त-	227.00	-उपरोक्त-
63.		2515-00-789-06	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	283.00	स्कीम के अक्रियान्वयन के कारण
64.		2851-00-789-17	ओनलाइन विभागों का कम्प्यूटाइजेशन	50.00	भारत सरकार से अनुदान अवमुक्त न होने के कारण
65.		2851-00-789-25	राष्ट्रीय हथकरघा विकास	71.00	क्रियान्वयन अभिकरण को निधियां सीधे अवमुक्त किये जाने के कारण
66.		4055-00-789-01	पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण पर व्यय	202.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण
67.		4701-20-789-04	फिना सिंह परियोजना	225.00	-उपरोक्त-
68.		4701-20-789-04	-उपरोक्त-	25.00	-उपरोक्त-
69.		4701-21-789-01	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	784.35	-उपरोक्त-
70.		4701-21-789-01	-उपरोक्त-	87.15	-उपरोक्त-
71.		4702-00-789-07	विभिन्न जिलों में अपवर्तन स्कीम प्रवाह सिंचाई स्कीम	690.00	-उपरोक्त-
72.		4702-00-789-10	रेन वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चरज	200.00	सहिता औपचारिकताओं के अपूर्ण रहने के कारण
73.		4711-01-789-06	जाहू खड्ड से बमसन तक सीर खड्ड का चैनलाइजेशन (बाढ़ प्रबंधन प्रोग्राम)	122.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी अवमुक्त नहीं की जा सकी
74.		4711-01-789-06	-उपरोक्त-	52.00	-उपरोक्त-
75.		4711-01-789-08	डंकर बाटा बाढ़ प्रबंधन प्रोग्राम का चैनलाइजेशन	130.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण
76.		4711-01-789-08	-उपरोक्त-	56.00	-उपरोक्त-
77.		4711-01-789-09	स्वां डाउन स्ट्रीम से पंजाब सीमा फेस-III का चैनलाइजेशन	175.00	-उपरोक्त-
78.		4711-01-789-09	-उपरोक्त-	75.00	-उपरोक्त-
79.		4711-01-789-10	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत दौलतपुर से गगरेट तथा इसकी सहायिकाओं से स्वां का चैनलाइजेशन	2,027.80	-उपरोक्त-
80.		4711-01-789-12	तहसील इन्दौरा में छोछ खड्ड बाढ़ नियंत्रण कार्य (बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम)	610.40	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी अवमुक्त नहीं की जा सकी
81.		4711-01-789-12	-उपरोक्त-	261.60	-उपरोक्त-
82.		4711-01-789-13	कुल्लू जिला में पल्लान से औट तक का चैनलाइजेशन	175.00	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण
83.		4711-01-789-13	-उपरोक्त-	75.00	-उपरोक्त-
योग				38,580.36 अर्थात् ₹ 385.80 करोड़	

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2014-न्याय प्रशासन	124.37	12.30	10
2.	04	2052-सामान्य प्रशासन	77.54	10.61	14
3.	05	2029- भू-राजस्व	188.83	22.99	12
4.	05	2053-प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर भू-राजस्व एवं राहत	129.43	24.99	19
5.	07	2055-पुलिस	755.96	56.17	7
6.	07	2070-अन्य प्रशासन सेवाएं	80.96	17.27	21
7.	07	4055-पुलिस एवं पूंजीगत परिव्यय	24.74	10.18	41
8.	08	2202-सामान्य शिक्षा	4,698.15	1,074.07	23
9.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1,075.26	204.25	19
10.	09	2211-परिवार कल्याण	428.88	149.65	35
11.	10	2059-लोक निर्माण कार्य	759.36	49.01	6
12.	10	3054-सड़क एवं पुल	2,731.26	296.22	11
13.	11	2401-फसल कृषि व्यवस्था	250.88	36.73	15
14.	13	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	230.29	50.79	22
15.	13	4701-मध्यम सिंचाई	30.01	30.01	100
16.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	101.93	58.55	57
17.	13	4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	68.69	39.05	57
18.	13	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना	130.25	91.12	70
19.	14	2403-पशुपालन	252.61	28.56	11
20.	15	2202-सामान्य शिक्षा	20.40	11.40	56
21.	15	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	23.10	12.74	55
22.	15	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	149.41	22.02	15
23.	16	2406-वन एवं वन्य जीवन	393.41	30.01	8
24.	19	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	529.01	25.91	5
25.	19	2236-पोषण	49.71	19.31	39
26.	20	2216-आवास	66.37	41.10	62
27.	20	2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	113.44	80.97	71
28.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	555.13	82.57	15
29.	22	2408-खाद्य भण्डार एवं भण्डारण	214.78	41.26	19
30.	23	6801-विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	230.78	100.88	44
31.	27	2230-श्रम रोजगार	159.60	62.08	39
32.	27	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	80.46	14.22	18
33.	29	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	42.24	11.31	27
34.	29	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4,040.72	150.83	4
35.	31	2202-सामान्य शिक्षा	205.68	26.42	13
36.	31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	29.26	12.96	44
37.	31	3054-सड़क एवं पुल	217.25	18.89	9
38.	32	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	122.78	13.69	11
39.	32	4701-मध्यम सिंचाई	11.34	11.30	100
40.	32	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	40.28	11.38	28
41.	32	4711-खाद्य नियंत्रण परियोजनाएं	47.63	44.47	93
42.	32	5054-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	236.65	27.41	12
योग			19,718.84	3,135.63	

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ: 41)

31 मार्च 2016 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	8229/110	विद्युत विकास निधि	एन.जे.पी.सी. सी.टी.ओ. (02)	21,684.78
2	8443/106	व्यक्तिगत जमा	हि.प्र. उच्च न्यायालय, शिमला (52)	36.86
3	8443/106	व्यक्तिगत जमा	आई.जी.एम.सी., शिमला (53)	14.56
4	8443/106	व्यक्तिगत जमा	युवा व खेल (54)	17.68
5	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक (बेतार) (18)	38.84
6	8443/110	पुलिस निधि जमा	पी.टी.एस., जुंगा (14)	26.59
7	8443/110	पुलिस निधि जमा	डी.आई.जी. (पी.) ट्रेनिंग, ड्रोह (12)	27.30
8	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, चंबा (09)	1.88
9	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, ऊना (07)	133.92
10	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, मण्डी (01)	8.23
11	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, नाहन (03)	30.76
12	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर (04)	19.99
13	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू (05)	44.65
14	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, सोलन (08)	33.67
15	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कांगडा स्थित धर्मशाला (10)	58.00
16	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, शिमला (13)	33.20
17	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, केलांग (15)	19.21
18	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (16)	65.65
19	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर (17)	20.10
20	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., जुब्बल (40)	0.87
21	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगर निगम, शिमला (42)	5.39
22	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.पी. सन्तोखगढ़ (23)	0.06
23	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., चुवाड़ी (26)	0.55
24	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., सुजानपुर (13)	0.06
25	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, हमीरपुर (14)	14.68
26	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, मण्डी (01)	7.17
27	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, सुन्दरनगर (02)	0.07
28	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, कल्पा (46)	0.84
29	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, केलांग (48)	0.16
30	8448/106	आई.सी.ए.आर. निधियां	शिमला-01	9.91
31	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पूह (70)	3.09
32	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., निचार (71)	3.22
33	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भवारना (39)	1.73
34	8448/109	पंचायत निकाय निधि	ज़िला परिषद, धर्मशाला (66)	0.08
35	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., आनी (64)	0.18
36	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ऊना (26)	1.77
37	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गगरेट (27)	1.88
38	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., अम्ब (29)	2.55
39	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कांगडा (30)	0.73
40	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा बगवां (31)	74.80
41	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रायत (32)	2.45
42	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नूरपुर (33)	51.08
43	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., इन्दौरा (34)	1.01
44	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., परागपुर (36)	1.60

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
45	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा सूरियां (37)	1.05
46	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पंचरूखी (38)	0.58
47	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., लम्बागांव (41)	2.59
48	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भटियात (55)	70.53
49	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सलूणी (56)	0.00 ¹¹
50	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., झण्डूता (58)	3.04
51	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., केलांग (60)	2.04
52	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुल्लू (61)	1.38
53	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नाहन (16)	1.22
54	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सोलन (21)	0.09
55	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुनिहार (22)	1.20
56	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चौतडा (06)	2.28
57	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गोपालपुर (09)	161.80
58	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सुजानपुर (12)	0.19
59	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नादौन (13)	0.89
60	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भोरंज (14)	0.60
61	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ठियोग (44)	4.45
62	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सदर मण्डी (01)	0.16
63	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., द्रंग (04)	1.88
64	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सिराज (05)	0.26
65	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., जुब्बल (48)	0.21
66	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चिड़गांव (49)	14.41
67	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पांगी (50)	0.01
68	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चम्बा (51)	1.68
69	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., मेहला (52)	3.28
70	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., तीस्सा (53)	50.97
71	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कल्पा (67)	5.73
72	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कण्डाघाट (24)	0.00 ¹²
73	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पच्छाद (20)	0.00 ¹³
74	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नारकण्डा (42)	51.22
75	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रामपुर (45)	4.00
76	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एम.एल.एम. कॉलेज, सुन्दरनगर (19)	0.10
77	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, डी.ए.वी. कॉलेज, कोटखाई (01)	0.71
78	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, आर्य महाविद्यालय, नूरपुर (09)	4.10
79	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एम.एल. कॉलेज, थुरल (08)	2.67
80	8449/120	विविध जमा	उपमण्डल अधिकारी (सिविल) नाहन (18)	0.03
81	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एस.वी.एस.डी. कॉलेज, भटोली (18)	37.10
82	8443/106	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशक, सुन्दरनगर (73)	0.05
83	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, डी.ए.वी. कॉलेज, कांगड़ा (18)	208.04
योग				23,142.32 अर्थात् ₹231.42 करोड़

¹¹ वास्तविक आंकड़ा ₹ 0.29

¹² वास्तविक आंकड़ा ₹ 1

¹³ वास्तविक आंकड़ा ₹ 281.81

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.2, 2.5.3 व 2.5.4; पृष्ठ: 42)

पुनर्विनियोजन के माध्यम से अत्यधिक बजट प्रावधान का आहरण

(₹ में)

लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	व्यय	भिन्नता आधिक्य (+)/ बचत (-)
अनुदान संख्या-09						
2059-01-053-49	1,000	--	307,09,000	307,10,000	294,41,788	(-) 12,68,212
2210-01-102-01	165,50,000	--	100,00,000	265,50,000	165,50,000	(-) 100,00,000
2210-01-110-03	18427,09,000	--	(-) 6164,54,000	12262,55,000	12220,71,823	(-) 41,83,177
2210-03-110-01	28925,03,000	--	(-) 7969,39,000	20955,64,000	20890,47,169	(-) 65,16,831
2210-04-101-02	8442,72,000	--	(-) 1433,48,000	7009,24,000	6242,12,966	(-) 767,11,034
2210-05-101-01	1226,08,000	--	6,93,000	1233,01,000	1177,21,743	(-) 55,79,257
2211-00-003-01	349,85,000	--	(-) 148,78,000	201,07,000	183,07,376	(-) 17,99,624
2211-00-101-01	8016,27,000	--	(-) 2797,84,000	5218,43,000	5116,61,152	(-) 101,81,848
2211-00-102-01	1441,74,000	--	(-) 647,15,000	794,59,000	758,21,416	(-) 36,37,584
2059-01-053-55	132,00,000	--	200,00,000	332,00,000	237,20,922	(-) 94,79,078
2210-01-110-03	4400,00,000	--	209,20,000	4609,20,000	4552,36,194	(-) 56,83,806
2210-03-110-01	5045,00,000	--	(-) 965,70,000	4079,30,000	3937,87,656	(-) 141,42,344
2210-05-105-06	286,00,000	--	354,15,000	640,15,000	540,51,404	(-) 99,63,596
2210-05-105-08	99,00,000	--	213,00,000	312,00,000	213,98,061	(-) 98,01,939
2210-06-101-02	170,00,000	--	(-) 77,35,000	92,65,000	81,84,974	(-) 10,80,026
योग	77126,29,000	--	18813,86,000	58312,43,000	56612,14,644	(-) 1700,28,356
अनुदान संख्या-09						
2210-01-200-01	2273,33,000	--	152,20,000	2425,53,000	2550,90,908	(+) 125,37,908
2210-02-001-02	6712,23,000	--	(-) 1972,52,000	4739,71,000	4754,62,213	(+) 14,91,213
2210-05-105-06	5998,45,000	--	483,68,000	6482,13,000	6777,69,813	(+) 295,56,813
योग	14984,01,000	--	(-) 1336,64,000	13647,37,000	14083,22,934	(+) 435,85,934
अनुदान संख्या-20						
2505-02-101-03	2000,00,000	--	(-) 51,28,000	1948,72,000	--	(-) 1948,72,000
2515-00-102-01	8601,89,000	--	(-) 2229,65,000	6372,24,000	6345,38,439	(-) 26,85,561
योग	10601,89,000	--	(-) 2280,93,000	8320,96,000	6345,38,439	(-) 1975,57,561

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ: 45)

31 मार्च 2016 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान सभाएं	2014-15	1	8.23	-	-
			1	8.23	-	-
2	2029-भू-राजस्व	2013-14	10	183.00	-	-
		2014-15	20	312.00	-	-
			30	495.00	-	-
3	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2014-15	6	110.91	6	110.91
			6	110.91	6	110.91
4	2055- पुलिस	2013-14	1	10.00	-	-
		2014-15	1	10.00	1	10.00
			2	20.00	1	10.00
5	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2014-15	16	300.00	-	-
			16	300.00	-	-
6	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2013-14	3	125.27	3	125.27
		2014-15	18	164.29	18	164.29
			21	289.56	21	289.56
7	2202- सामान्य शिक्षा	2012-13	167	91.26	-	-
		2013-14	9,414	24,965.94	21	3,585.27
		2014-15	19,911	43,674.85	83	799.29
			29,492	68,732.05	104	4,384.56
8	2203-तकनीकी शिक्षा	2013-14	3	48.00	-	-
			3	48.00	-	-
9	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2013-14	12	51.30	-	-
		2014-15	43	682.52	1	2.71
			55	733.82	1	2.71
10	2205- कला एवं संस्कृति	2012-13	168	271.43	-	-
		2013-14	161	363.76	-	-
		2014-15	164	270.00	147	101.51
			493	905.19	147	101.51
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य						
11	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2011-12	1	170.00	1	170.00
		2012-13	3	300.00	3	300.00
		2013-14	470	1,822.09	43	1,650.91
		2014-15	583	6,851.58	130	4,659.17
			1,057	9,143.67	177	6,780.08
12	2211- परिवार स्वास्थ्य	2013-14	9	4,816.54	1	533.00
		2014-15	44	14,772.12	24	4,369.61
			53	19,588.66	25	4,902.61
योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)			1,110	28,732.33	202	11,682.69
शहरी विकास						
13	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2014-15	1	914.79	-	-
			1	914.79	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	2217- शहरी विकास	2008-09	4	465.33	-	-
		2009-10	14	6,055.65	-	-
		2010-11	20	2,953.06	5	1,919.83
		2011-12	20	4,422.65	4	728.63
		2012-13	34	11,736.91	5	489.10
		2013-14	53	26,724.59	12	6,363.41
		2014-15	46	18,736.92	16	8,474.81
			191	71,095.11	42	17,975.78
15	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	-	-
		2010-11	2	276.00	-	-
		2011-12	1	600.00	1	600.00
		2012-13	1	600.00	1	600.00
		2013-14	1	600.00	1	600.00
		2014-15	1	600.00	1	600.00
			8	3,276.00	4	2,400.00
योग (शहरी विकास)			200	75,285.90	46	20,375.78
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता						
16	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2011-12	13	1,003.30	10	1,000.00
		2012-13	29	1,431.11	20	1,006.49
		2013-14	35	630.60	3	8.60
		2014-15	5	227.10	4	225.10
			82	3,292.11	37	2,240.19
17	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2008-09	44	366.61	-	-
		2009-10	38	156.45	-	-
		2010-11	84	493.74	-	-
		2011-12	431	716.02	-	-
		2012-13	353	839.14	-	-
		2013-14	545	2,102.09	-	-
		2014-15	656	3,147.28	403	1,375.82
			2,151	7,821.33	403	1,375.82
योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)			2,233	11,113.44	440	3,616.01
18	2230- श्रम एवं रोजगार	2014-15	1	5.00	-	-
			1	5.00	-	-
सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं						
19	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2011-12	1	5.00	-	-
		2012-13	2	75.00	-	-
		2013-14	4	54.30	-	-
		2014-15	17	500.94	12	457.02
			24	635.24	12	457.02
20	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2009-10	1	49.00	-	-
		2010-11	1	57.22	-	-
		2012-13	1	3.00	1	3.00
		2013-14	4	46.00	4	46.00
		2014-15	10	1,445.09	10	1,445.09
			17	1,600.31	15	1,494.09
योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)			41	2,235.55	27	1,951.11
21	2401- कृषि कर्म	2011-12	22	625.33	-	-
		2012-13	32	1,321.51	13	681.41
		2013-14	43	2,216.79	27	1,776.15
		2014-15	39	5,716.35	21	5,070.75
			136	9,879.98	61	7,528.31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	2403- पशुपालन	2012-13	30	2,379.66	11	145.56
		2013-14	30	2,457.92	6	1,770.35
		2014-15	33	4,653.87	24	3,820.79
			93	9,491.45	41	5,736.70
23	2404- डेयरी विकास	2013-14	9	1,400.00	9	1,400.00
		2014-15	21	1,451.59	21	1,451.59
			30	2,891.59	30	2,891.59
24	2405- मत्स्य पालन	2012-13	10	7.95	-	-
		2013-14	5	39.30	1	33.60
		2014-15	12	30.25	6	25.20
			27	77.50	7	58.80
25	2408- खाद्य भंडारण एवं भण्डारगृह	2010-11	1	2.49	-	-
		2011-12	8	20.40	8	20.40
		2012-13	12	26.99	12	26.99
		2013-14	18	33.50	18	33.50
		2014-15	22	35.71	22	35.71
			61	119.09	60	116.60
26	2425- सहकारिता	2012-13	12	15.68	-	-
		2013-14	37	106.45	17	12.85
		2014-15	59	119.45	27	42.45
			108	241.58	44	55.30
	ग्रामीण विकास					
27	2216- आवास	2009-10	93	515.60	-	-
		2010-11	58	1,104.70	-	-
		2011-12	17	281.13	-	-
		2012-13	84	1,574.00	-	-
		2013-14	102	2,391.29	-	-
		2014-15	78	2,947.00	53	1,156.36
			432	8,813.72	53	1,156.36
28	2501- विशेष कार्यक्रम	2008-09	18	141.53	-	-
		2009-10	20	366.13	-	-
		2010-11	27	562.00	-	-
		2011-12	61	1,648.71	-	-
		2012-13	81	739.08	-	-
		2013-14	58	1,364.14	-	-
		2014-15	44	1,500.07	20	932.91
			309	6,321.66	20	932.91
29	2505-ग्रामीण रोजगार	2008-09	2	816.89	-	-
		2009-10	2	224.04	-	-
		2011-12	9	284.86	9	284.86
		2012-13	17	3,911.91	17	3,911.91
		2013-14	14	4,996.53	14	4,996.53
		2014-15	19	39,245.37	19	39,245.37
			63	49,479.60	59	48,438.67
30	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2008-09	162	1,645.69	-	-
		2009-10	337	9,042.51	-	-
		2010-11	397	10,531.28	-	-
		2011-12	353	19,652.67	158	16,862.40
		2012-13	412	19,172.34	312	17,035.62
		2013-14	395	27,717.68	365	12,435.51
		2014-15	444	38,844.26	444	38,844.26
			2,500	1,26,606.42	1,279	85,177.78
	योग (ग्रामीण विकास)		3,304	1,91,220.98	1,411	1,35,705.73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
		2013-14	2	1,876.50	2	1,876.50
		2014-15	5	1,349.00	5	1,349.00
			9	3,437.50	9	3,437.50
32	2810- ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	2013-14	2	5.00	-	-
		2014-15	12	7.75	-	-
			14	12.75	-	-
33	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2011-12	26	361.69	-	-
		2012-13	52	705.10	14	565.74
		2013-14	102	2,276.82	22	275.57
		2014-15	100	3,016.86	21	1,008.43
			280	6,360.47	57	1,849.74
34	3055- पथ परिवहन	2014-15	1	3,000.00	-	-
			1	3,000.00	-	-
35	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2013-14	7	42.15	5	40.70
		2014-15	5	52.40	4	50.40
			12	94.55	9	91.10
36	3452- पर्यटन	2010-11	7	74.51	1	10.00
		2011-12	16	706.62	10	606.62
		2012-13	12	1,000.68	9	900.68
		2013-14	12	1,995.06	9	1,905.06
		2014-15	10	2,203.30	8	2,103.30
			57	5,980.17	37	5,525.66
37	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2012-13	24	717.57	-	-
		2013-14	48	909.03	-	-
		2014-15	24	912.70	-	-
			96	2,539.30	-	-
38	2406-वन एवं वन्य जीव (वन लेखे)	2011-12	1	18.11	1	18.11
		2012-13	11	171.36	9	170.64
		2013-14	41	570.36	17	474.23
		2014-15	171	1,099.00	85	522.72
			224	1,858.84	112	1,185.70
39	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा (वन लेखे)	2011-12	1	10.00	-	-
		2012-13	1	10.00	-	-
		2013-14	24	11,145.75	-	-
		2014-15	42	15,744.85	42	15,744.85
			68	27,221.60	42	15,744.85
40	2250-अन्य सामाजिक समुदाय	2014-15	5	502.39	3	2.12
			5	502.39	3	2.12
41	3425-अन्य विज्ञान सम्बन्धी	2014-15	21	406.80	3	80.20
			21	406.80	3	80.20
42	3454-जनगणना	2014-15	23	5.42	23	5.42
			23	5.42	23	5.42
सकल योग			38,273	4,54,357.40	2,944	2,22,540.16

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ: 46)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि
1.	हि0प्र0 राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	जनवरी-2014	2014-15	6 महीने	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
2.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
3.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, रामपुर	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
4.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
5.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नाहन	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
6.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
7.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सोलन	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
8.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, मण्डी	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
9.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, ऊना	जनवरी-2014	2014-15	2 महीने	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
10.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, चम्बा	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
11.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
12.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	जनवरी-2014	2014-15	1 महीना	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
13.	हि0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2013-14	10 महीने	2013-14	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
14.	हि0प्र0 राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 से आगे	2014-15	-	2014-15	मार्च 2016

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 47)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध व्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	राजस्व	-	-	-	-	01	0.31	-	-	-	-	01	0.02	02	0.33
9.	गृह रक्षा	-	-	-	-	02	25.37	-	-	-	-	01	0.05	03	25.42
10.	पशुपालन	-	-	-	-	01	0.17	-	-	-	-	02	0.93	03	1.10
11.	आयोजना निदेशक	-	-	01	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.97
12.	स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	वन	01	0.63	-	-	01	2.38	-	-	-	-	02	0.40	04	3.41
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	02	5.27	05	3.21	01	0.55	07	2.14	15	11.17
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	01	0.89	02	0.27	02	7.75	-	-	-	-	05	8.91
	योग:	06	6.08	07	10.48	10	42.97	09	12.51	02	3.12	13	3.54	47	78.70

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 47)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्रामीण विकास	02	4.68	00	00	02	4.68
कृषि	00	00	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	00	00	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	00	00	01	1.28
पुलिस	00	00	01	0.08	01	0.08
राजस्व	01	0.31	01	0.02	02	0.33
गृह रक्षा	00	00	03	25.42	03	25.42
पशुपालन	01	0.17	02	0.93	03	1.10
आयोजना निदेशक	01	2.97	00	00	01	2.97
स्वास्थ्य	00	00	01	0.95	01	0.95
वन	00	00	04	3.41	04	3.41
लोक निर्माण	02	0.77	13	10.40	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
योग:	12	12.09	35	66.61	47	78.70

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
7.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	गारंटियां	कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।